न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर

प्रा.पत्र मुन्त. / 66 / 2024

1–पोथी सिंह उम्र 83 वर्ष । पुत्र करनसिंह जाति जाट निवासी नगला बीजा
2–बीरबल सिंह उम्र 65 वर्ष । तहसील उच्चैन जिला भरतपुर

.........प्रार्थी0

बनाम

जयपाल पुत्र अमरसिंह जाति जाट निवासी मकेरा तहसील व जिला मथुरा (यूपी)

.........अप्रार्थी0

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राज0 काश्तकारी अधिनियम विरुद्ध न्यायालय सहायक कलक्टर नदबई प्रकरण संख्या 108 / 2023 शीर्षक पौथीसिंह बनाम जयपाल।

उपस्थितः–
1–श्री महाराजसिंह डांगुर, अभिभाषक प्रार्थी,
2–श्री चन्द्रमोहन अभिभाषक रेस्पो.

निर्णय   **दिनांक 12.02.2025**

प्रार्थी ने यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र विरुद्ध अप्रार्थीगण वखिलाफ सहायक कलेक्टर, नदबई इस आशय का पेश किया गया, जो संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि एक दावा नम्बर 08 / 2023 उनवानी पोथीसिंह बनाम जयपाल सहायक कलेक्टर न्यायालय नदबई में विचाराधीन है। जिसमें तलवी नही कराई जा रही है, प्रकरण में अनावश्यक देरी की जा रही है। अप्रार्थी उत्तरप्रदेश का रहने वाला है। प्रार्थीगण भरतपुर में निवास करते हैं, सीनियर सिटीजन की संज्ञा में आते हैं। न्यायालय नदवई में आने जाने में दिक्कत होती है। अप्रार्थी भी उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। इसलिये नदवई से भरतपुर किसी भी न्यायालय प्रकरण को हस्तांतरण किया जावे। साथ ही यह भी अंकित किया है कि प्रतिवादी पीठासीन अधिकारी के कक्ष में मिलते हुये भी देखा है, तथा अप्रार्थी ने धमकी दी है कि दावा उसके पक्ष में निर्णय होगा। इसलिये भी पीठासीन अधिकारी नदबई से न्याय मिलने की उम्मीद भी नहीं है। प्रकरण को किसी दीगर न्यायालय में मुन्तकिल किया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर। अप्रार्थीगण की तलबी की गई। अप्रार्थी की ओर से जवाव पेश हुआ जो शामिल पत्रावली किया गया। सहायक कलक्टर, नदबई से

.........2

जिला कलक्टर
भरतपुर

टिप्पणी तलब की गई। सहायक कलक्टर नदबई से प्राप्त टिप्पणी शामिल मिसिल है। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई। योग्य अभिभाषक अप्रार्थी ने उसका जबाब ही उसकी बहस शुमार किये जाने की प्रार्थना की गई।

योग्य अभिभाषक प्रार्थी0 ने अपने तर्कों में प्रार्थना पत्र मुन्तकिल में उल्लेखित कथनों को दोहराते हुये जाहिर किया कि प्रार्थीगण वृद्ध व्यक्ति हैं, सिनियर सीटीजन की तारीफ में आते हैं। प्रार्थीगण भरतपुर में निवास करते हैं, उन्हें तारीख पेशीयों पर नदबई न्यायालय में आने जाने में पेरशानी होती है। योग्य अभिभाषक प्रार्थी0 का यह भी कहना है कि अप्रार्थी उत्तर प्रदेश का रहने वाला है उसे भी तारीख पेशीयों में भरतपुर आने जाने में सहुलियत रहेगी। योग्य अभिभाषक का यह भी कहना है कि अप्रार्थी ने धमकी दी है कि पीठासीन अधिकारी से उसकी बात हो गई है। दावा उसके हक में फैसल होगा। इसलिये प्रार्थी0 को शंका है कि उन्हें पीठासीन अधिकारी से न्याय नही मिलेगा। अतः सहायक कलेक्टर नदबई के यहाँ विचाराधीन दावा को किसी अन्य न्यायालय भरतपुर में हस्तान्तरण करने का निवेदन किया है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष के कथनों पर गौर किया गया। सहायक कलेक्टर,नदबई से प्राप्त टिप्पणी पर गौर किया गया। योग्य अभिभाषक प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में निम्न दो उठाये हैं –

1– अप्रार्थी का पीठासीन अधिकार के कक्ष में आते जाते देखना एवं प्रार्थीगण को धमकी देना।

2– प्रार्थी0 वृद्ध हैं, जिन्हें तारीख पेशी पर नदबई न्यायालय में उपस्थित होने के लिये आने जाने में दिक्कत होती है।

1– बिन्दू संख्या–1 में लगाये गये आरोप स्वीकार योग्य नहीं रहता क्यों कि आरोपों के सम्बन्ध में प्रार्थी ने सिवाय मौखिक कथनों के ऐसा कोई साक्ष्य दस्तावेजी हमारे समक्ष पेश नहीं किया है जिससे अप्रार्थी द्वारा धमकी देना वगे. सावित होता हो।

2– मुताविक प्रार्थना पत्र प्रार्थी0 की क्रमशः 83 एवं 65 दर्ज है। प्रार्थना पत्र मुन्तकिली की ताईद में प्रस्तुत शपथ पत्र में भी उम्र 83 वर्ष दर्ज है। प्रार्थीगण सीनियर सिटीजन हैं तथा न्यायालय नदबई में अपने प्रकरण में आने जाने में परेशानी होना जाहिर करते हुये प्रकरण को नदबई से भरतपुर न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने की प्रार्थना की है। विचाराधीन प्रकरण में अप्रार्थी जिला मथुरा यू.पी. का निवासी है। ऐसी स्थिति में न्यायालय सहायक कलक्टर नदबई के न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण को उपखण्ड अधिकारी न्यायालय भरतपुर में मुन्तकिल किया जाना मुनासिव होगा।

.........3

जिला कलक्टर
भरतपुर

(3)

प्रा.पत्र मुन्त./66/2024
पोथीसिंह वगै0 बनाम जयपाल

अतः आदेश है कि :—

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थना पत्र मुन्तकिली स्वीकार किया जाता है। सहायक कलेक्टर नदबई के न्यायालय में विचाराधीन दावा नम्बर 08/2023 उनवानी पोथीसिंह बनाम जयपाल को उपखण्ड अधिकारी भरतपुर न्यायालय में मुन्तकिल किया जाता है। निर्णय की प्रति पालनार्थ उपखण्ड अधिकारी भरतपुर एवं सहायक कलेक्टर नदबई को प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 12.02.2025 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ. अमित यादव)
जिला कलक्टर,
भरतपुर